

झारखंड उच्च न्यायालय रांची
द्वितीय अपील संख्या 55/2017

मेसर्स अनिल ऑटोमोबाइल्स एक प्रोपराइटरशिप फर्म है जो अपने प्रोपराइटर अनिल कुमार अग्रवाल के माध्यम से निरसा, डाकघर और थाना निरसा, जिला, धनबाद में अपना कार्यालय रखती है

.....अपीलकर्ता/उत्तरदाता/वादी

बनाम

1. झारखंड राज्य का मुख्यालय परियोजना भवन, एचईसी में है, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला: रांची
 2. उपायुक्त, धनबाद डाकघर और थाना के माध्यम से झारखंड राज्य।
जिला धनबाद
 3. सचिव, राजस्व विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, एचईसी, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला-रांची
 4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झारखंड, रांची, परियोजना भवन, एचईसी, डाकघर एवं थाना धुर्वा जिला रांची
 5. वही संयुक्त कमिश्नर वाणिज्यिक करों (प्रशासन), धनबाद, डाकघर और थाना और जिला धनबाद
 6. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धनबाद, डाकघर और थाना और जिला धनबाद
-
उत्तरदाता/अपीलकर्ता/प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री जितेंद्र कुमार पसारी उत्तरदाता उत्तरदाता

संख्या 2 के लिए : मिस्टर जय प्रकाश (एजी-आईए)

सुश्री ओमिया अनीशा (एएजी-1ए का एसी)

उपस्थित

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

निर्णय

30.11.2023 को सीएवी

23 .02.2024 को सुनाया गया

मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं।

2. वर्तमान द्वितीय अपील अपीलकर्ता, मेसर्स अनिल ऑटोमोबाइल्स, एक प्रोपराइटरशिप फर्म, ने अपने प्रोपराइटर अनिल कुमार अग्रवाल के माध्यम से विद्वान जिला न्यायाधीश द्वितीय, धनबाद द्वारा मनी अपील संख्या 02/2012 , में पारित 08.12.2016 को हस्ताक्षरित निर्णय और डिक्री दिनांक 30.11.2016 को चुनौती दी है।

जिसके तहत, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी/उत्तरदाताओं के द्वारा दायर उक्त अपील की अनुमति दी है और मनी अपील संख्या 35/2006 में विद्वान अवर न्यायाधीश VI, धनबाद द्वारा 17.10.2011 को हस्ताक्षरित डिक्री 24.09.2011 को पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया है, जिसके तहत वादी/अपीलकर्ता के मनी सूट का फैसला किया गया है और प्रतिवादी/उत्तरदाताओं को निर्देशित किया गया था कि 20.11.2006 से वसूली तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,68,301.58 पैसे की राशि का भुगतान करें।

3. अपीलकर्ता ने उपरोक्त मनी अपील संख्या 02/2012 में विद्वान अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करते हुए विद्वान विचारण न्यायालयद्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि के लिए प्रार्थना की है।
4. संक्षेप में इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य यह है कि वादी/अपीलकर्ता गांव निरसा जिला धनबाद में ऑटोमोबाइल भागों का व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म है और भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है। वादी ने मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक केंद्र सरकार के उपक्रम से 1,57,695/- रुपये का मोबिल माल खरीदा था, जिसे बस्ताकोला झरिया, धनबाद से ट्रक संख्या बीआर 17ए 4754 दिनांक 19.02.1993 द्वारा वादी को भेजा गया था। आरोप है कि जब उक्त ट्रक माल के साथ पुलिस लाइन, धनबाद के पास पहुंचा तो आईबी के वाणिज्य कर अधिकारी ने उक्त ट्रक को रोका और

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के फार्म संख्या 28बी में ट्रक चालक द्वारा रोड परमिट प्रस्तुत न करने के कारण माल के साथ इसे जब्त कर लिया।

5. वाणिज्यिक कर अधिकारी, आईबी ने यह भी निर्देश जारी किया कि चालक को 20.02.1993 को सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, धनबाद, (प्रतिवादी संख्या 6) के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, जिसमें उसे बिहार वित्त अधिनियम के कथित उल्लंघन के बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है, जिन्होंने उपस्थित होकर समझाया कि उक्त माल के परिवहन के लिए रोड परमिट की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए, उक्त अधिनियम के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं था। इसके बावजूद प्रतिवादी नंबर 6 ने बिहार वित्त अधिनियम की धारा 31 (3) के तहत 48,432 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान वादी द्वारा किया गया था, जिसके बाद माल और ट्रक को छोड़ दिया गया था।
6. वादी ने अपील संख्या आई वी/एस टी/10/1993-94 सरकार ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आईबी, धनबाद के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, धनबाद प्रभाग, धनबाद के समक्ष दिनांक 10-10-2010 के अपने आदेश के समक्ष रिट याचिका (आईबी/एसटी/10/1993-94) दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए नकद ज्ञापन से पता चलता है कि उक्त इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और सहायक आयुक्त द्वारा बिक्री कर और अतिरिक्त कर पहले ही प्रभारित किए गए थे। वाणिज्यिक कर, आईबी ने गलत तरीके से 48,432 रुपये का जुर्माना वसूला है। वादी की उक्त अपील को पक्षकारों को सुनने के बाद दिनांक 01.11.1993 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात् स्वप्नरणा से अपील 185/94-95 विद्वान वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष शुरू की गई जिन्होंने पक्षों को सुनने के बाद संयुक्त आयुक्त के दिनांक 01.11.1993 के आदेश को रद्द कर दिया

अपने आदेश दिनांक 26.07.1995 के तहत सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आईबी धनबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.1993 को बहाल कर दिया।

7. अपीलकर्ता/वादी ने माननीय वाणिज्यिक कर अधिकरण, पटना के समक्ष विद्वान आयुक्त, वाणिज्यिक कर दिनांक 26.07.1995 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी जिसे बाद में रांची में स्थानांतरित कर दिया गया और पुनरीक्षण याचिका संख्या डी एन 542/2001 के रूप में पंजीकृत किया गया। जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 2001 का रिट याचिका सं डीएन 542 दायर किया था जिसे दिनांक 25-11-2003 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी जिसमें विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) धनबाद प्रभाग, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 01-11-1993 के आदेश को बहाल किया गया था। विद्वान वाणिज्यिक कर अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 25.11.2003 के आदेश का संगत भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

, 'निश्चित तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कर चोरी का कोई सबूत नहीं है। सामान टैक्स पेड माल था और इसकी खरीद पर याचिकाकर्ता द्वारा पूरा टैक्स चुकाया गया है। इसलिए, उनकी देयता केवल 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करने की थी, जिस पर कानून के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता था और जेसीसीटी (अपील) ने कर निर्धारण अधिकारी को तदनुसार जुर्माना लगाने का निर्देश देते हुए सही आदेश पारित किया है। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने कानूनी स्थिति को समझे बिना गलत तरीके से आदेश पारित किया है जो एक तरफ होने के लिए उपयुक्त है।

परिणाम स्वरूप हम इस पुनरीक्षण आवेदन में योग्यता पाते हैं जिसे तदनुसार अनुमति दी जाती है। दिनांक 26.07.95 के आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है और अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.1993 को पारित आदेश

बहाल किया जाता है।

8. वादी/अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वाणिज्यिक कर, ट्रिब्यूनल, रांची के दिनांक 25.11.2003 के आदेश के परिणामस्वरूप, वादी/अपीलकर्ता मौजूदा ब्याज दर के साथ जुर्माना राशि की वापसी पाने का हकदार है, अर्थात् 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से

इसकी गणना 20.02.1993 से की जाती है अर्थात् वादी द्वारा जमा की गई तारीख। तदनुसार, कई अवसरों पर वादी उक्त जुर्माना राशि की वापसी पाने के लिए प्रतिवादी नंबर 6, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, आईबी, धनबाद के कार्यालय में गया, लेकिन किसी न किसी बहाने उसने भुगतान करने से बचना शुरू कर दिया। इसके बाद, वादी ने दिनांक 12.12.2003 और 11.03.2005 को पत्र भेजे लेकिन प्रतिवादी ने वादी से अवैध रूप से प्राप्त राशि को चुकाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उपरोक्त कानूनी नोटिस का कोई जवाब भेजा। पत्र संख्या 896 दिनांक 19.09.2006 को अपर कलेक्टर (आपूर्ति), धनबाद द्वारा कुछ प्रश्न के साथ भेजा गया था, जिसका उत्तर वादी ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 05.10.2006 के पत्र द्वारा दिया था, लेकिन प्रतिवादियों की निष्क्रियता के कारण, वादी/अपीलकर्ता ने 2006 का मनी वाद संख्या 35/2006 दाखिल किया है, जिसमें अवैध रूप से जुर्माना के रूप में जमा किया गया मूल राशि 48432 रुपये को वापस करने के लिए और रुपया 1,19,868 तथा 58 पैसे ब्याज के रूप में 18% प्रति की दर से दिनांक 20-02-1993 से 20-11-2006 तक तथा वाद की लागत के राहत की मांग की गयी है।

9. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को दिनांक 13.06.2007 के आदेश के तहत अपना लिखित बयान दर्ज करने से रोक दिया गया था और मामले को सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के तहत सुनवाई के लिए तय किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1, झारखंड राज्य की ओर से अपने लिखित बयान को स्वीकार करने के लिए दिनांक 09.01.2009 को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे

आदेश 09.10.2009 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

10. विद्वान विचारण न्यायालयने निर्णय के लिए एकमात्र मुद्दा तैयार किया है: जो निम्नवत है -

"क्या प्रतिवादी वादी मैसर्स अनिल ऑटोमोबाइल को 168301.58 रुपये की राशि के लंबित और भविष्य के ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूली होने भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं?

11. अपने मामले को साबित करने के लिए, वादी ने दो गवाहों की परीक्षण की है और निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए हैं,

प्रदर्श 1:- पत्र दिनांक 12.12.03 की कार्बन कॉपी;

प्रदर्श 2:- वकालतन नोटिस दिनांक 23.08.06 की कार्बन प्रदर्श -

1/1: पत्र दिनांकित। 11.03.05;

प्रदर्श- 3 से 3/4:- पांच डाक रजिस्ट्री रसीद; प्रदर्श

-4 से 4/2: - तीन पावती; प्रदर्श.1/2:- पत्र डीटी।

19.09.2006;

प्रदर्श 1/3:- पत्र डीटी। 05.10.2006;

प्रदर्श 5:- सी सेक्शन से नियम 10 (ए) नंबर 3235 पटना डीटी। 18.11.70;

प्रदर्श 6:- पुनरीक्षण याचिका संख्या डीएन 542/01;
में निर्णय की जेरोक्स प्रति।

प्रदर्श 7:- पुनरीक्षण याचिका संख्या में पारित निर्णय की वाणिज्यिक कर अधिकरण,
रांची द्वारा डीएन 542/01। दिनांक 26.11.03;

12. वादी द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार

करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालयइस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा लगाए

गए जुर्माने की राशि 48,432/- रुपये को उच्च अधिकारियों के समक्ष चुनौती दी गई थी और माननीय वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा कानून के तहत उचित नहीं माना गया था, इसलिए, वादी ब्याज के साथ उक्त सभी जुर्माना राशि वापस करने का हकदार था। इसलिए

वाद की डिक्री करते हुए प्रतिवादियों को दिनांक 20.11.2006 से वसूली होने तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 1,68,301.58 पैसे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और उक्त राशि को तीन माह के भीतर जमा करने का भी निर्देश दिया।

13. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 से 6 द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद के समक्ष मनी अपील संख्या 2/2012 के माध्यम से मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि: -

a. बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 55 के अनुसार, मूल्यांकन आदेश के खिलाफ किसी अपील या पुनरीक्षण की अनुमति नहीं थी।

b. विद्वान विचारण न्यायालयने प्रतिवादियों को अपना लिखित बयान दर्ज करने से रोक दिया है और झारखंड राज्य के लिखित बयान को भी खारिज कर दिया है जिससे अपीलकर्ताओं को पूर्वाग्रह हुआ था।

c. जुर्माने की राशि/जुर्माना वादी/उत्तरदाता द्वारा जमा नहीं किया गया था बल्कि पंजीकरण संख्या बीआर 17 ए 4754 वाले ट्रक के चालक मोहम्मद मुमताज हुसैन के द्वारा जिन्होंने निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में रिफंड के लिए कभी कोई आवेदन दायर नहीं किया।

14. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस मुद्दे का निर्णय किया है कि आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता है या नहीं; और क्या आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में टिकाऊ है या नहीं, वादी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और दर्ज निष्कर्षों के आधार पर कि प्रतिवादी नंबर 6

ने बिहार वित्त अधिनियम की धारा 31 (3) के तहत 48,432 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे माननीय वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था।

वाणिज्यिक कर अधिकरण और जेसीसीटी (अपील) के दिनांक 01-11-1993 के आदेश को बहाल कर दिया गया था (प्रदर्श 7) लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों की स्वीकारोक्ति से परे यात्रा की कि उक्त जुर्माने की राशि ट्रक के चालक द्वारा जमा की गई थी जिसका पंजीकरण संख्या बीआर 17 ए 4754 और वादी द्वारा नहीं और इस तरह वादी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य/रसीद को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है कि उसने जुर्माना राशि जमा की है। इसलिए, अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालयके निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी, जिसे कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर वादी/अपीलकर्ताओं द्वारा इस दूसरी अपील में चुनौती दी गई है: -

a. क्या जब वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जुर्माना लगाना उचित नहीं है और अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया है, तो विचारण न्यायालय के आदेश को उलटने में निचली अदालत उचित थी?

b. क्या निचली अपीलीय अदालत ने परिसीमा के प्रश्न पर निर्णय किए बिना अपील का निर्णय करने में कानून में गलती की है, हालांकि अपीलीय न्यायालय का दिनांक 08.03.2013 का एक आदेश है कि अपील की सुनवाई के समय सीमा का निर्णय किया जाएगा।

15. अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का विरोध करने वाले अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालयद्वारा

पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील 213 दिनों की देरी से की गई थी। इस सर्त के साथ कि अंतिम सुनवाई के समय बिलम्ब माफी पर सुनवाई की जाएगी विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने दिनांक 08.03.2013 के आदेश के तहत माफी के अधीन धन अपील स्वीकार की

किन्तु परिसीमा के प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया और विलंब को कभी माफ नहीं किया गया, इसलिए विलंब की क्षमा के बिना गुण-दोष के आधार पर निर्णय कानून के अंतर्गत निष्फल है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी के विशिष्ट प्रवेश को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया है कि वर्तमान अपीलकर्ता की ओर से विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना जमा किया गया था और माल और वाहन मुक्त किए गए थे। यदि राशि स्वयं जमा करने के लिए स्वीकार की गई है, तो केवल रसीद का उत्पादन एक औपचारिकता है और अपीलकर्ता को गैर-उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। अपीलीय अदालत का निर्णय समानता, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के खिलाफ भी है जो एक व्यक्ति के दूसरे की कीमत पर अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकता है। जब विभाग ने अवैध रूप से जुर्माना राशि प्राप्त की है तो वह उस व्यक्ति को इसे बहाल/वापस करने के लिए बाध्य है जिसके कहने पर इसे जमा किया गया था और बिना किसी वैध औचित्य के इसे बनाए नहीं रख सकता है। इसलिए, विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री बिल्कुल अवैध है और इसे रद्द करने के लिए उपयुक्त है और इस अपील की अनुमति दी जा सकती है।

16. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि नीचे की अपीलीय अदालत ने बहुत बुद्धिमानी और उपयुक्त रूप से, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों से अवगत कराया है और एक तर्कसंगत निर्णय पारित किया है जो इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जो खारिज करने योग्य है।

17. अब इस दूसरी अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर वापस लौटते हुए, जहां तक 213 दिनों की देरी को माफ किए बिना योग्यता के आधार पर विद्वान निचली न्यायालय द्वारा पहली अपील के अंतिम निपटान का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश 41, नियम 3 (ए) सीपीसी के अनिवार्य प्रावधान को संबंधित अपीलीय न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रासंगिक प्रावधान यहां उद्धृत किया गया है: -

आदेश XLI नियम 3(A)

3A विलंब की क्षमा के लिए आवेदन- (1) जब कोई अपील इस प्रकार विनिर्दिष्ट परिसीमा की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है तो उसके साथ शपथ पत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन संलग्न होगा जिसमें उन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा जिन पर अपीलार्थी न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए भरोसा करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता न देने के लिए पर्याप्त कारण था।

(दो) यदि न्यायालय को प्रतिवादी को नोटिस जारी किए बिना आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, तो प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा और नियम 11 या नियम 13 के तहत अपील से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(तीन) जहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया गया है वहां न्यायालय उस डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देगा जिसके विरुद्ध अपील फाइल किए जाने का प्रस्ताव है, जब तक कि न्यायालय नियम 11 के अधीन

सुनवाई के पश्चात् अपील सुनने का विनिश्चय नहीं करता है।

18. वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि धन वाद संख्या 35/2006 में पारित विद्वान विचारण न्यायालयके निर्णय और डिक्री दिनांक 24.09.2011 के खिलाफ उत्तरदाताओं द्वारा पहली अपील की गई थी, जिसे 213 दिनों की देरी के बाद दायर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 03.07.2012 के आदेश के तहत विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उत्तरदाताओं को सीमा के बिंदु पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उत्तरदाता/वर्तमान अपीलकर्ता को

विधिवत नोटिस दिया गया' लेकिन परिसीमा याचिका के खिलाफ कोई आपत्ति/प्रत्युत्तर दायर नहीं किया। तदनुसार, दिनांक 08.03.2013 के आदेश द्वारा निम्नानुसार विस्तृत आदेश पारित किया गया था: -

"प्रवेश के बिंदु पर सुना और साथ ही देरी की माफी। अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपील दायर करके सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के कारण देरी हुई है। इसलिए देरी को माफ किया जाए और अपील स्वीकार की जाए।

पुकार (कॉल) पर उत्तरदाताओं की ओर से कोई नहीं आया। केवल वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं को नोटिस दिया गया है और वकील के माध्यम से 04.01.2013 से वकालतनामा के बिना उपस्थिति दर्ज की गई है। आज भी उत्तरदाताओं की ओर से वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई है, लेकिन प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और प्रत्युत्तर भी दायर नहीं किया गया है।

इससे पता चलता है कि उत्तरदाता को यह अपील स्वीकार करने में कोई

आपत्ति नहीं है

इसलिए, तथ्यों पर विचार करते हुए, इस धन अपील को इस सर्त के अधीन स्वीकार किया जाता है की विलम्ब माफी को अंतिम सुनवाई के समय सुना जायेगा

19. अपीलीय न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश से यह पता चलता है कि वर्तमान अपीलकर्ता ने सीमा के आधार पर अपील के प्रवेश के चरण में कोई आपत्ति नहीं उठाई है और मामले को बहुत हल्के में लिया है और कार्यवाही के किसी भी चरण में उपरोक्त आपत्ति उठाए बिना योग्यता के आधार पर सुनवाई में भाग लिया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में, यह माना जा सकता है कि देरी के मामले पर अपीलीय अदालत द्वारा ठीक से चर्चा की गई है और उसके बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, उपरोक्त आपत्ति द्वितीय अपील के वर्तमान चरण में बहुत अधिक पानी नहीं रखती है।

2. इस अपील में शामिल कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के निर्णय से संबंधित है, जो अंततः बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के फॉर्म 28 बी के अभाव में जुर्माना लगाने का निर्णय देता है, जो जब्त वाहन में माल के परिवहन के उद्देश्य से आवश्यक नहीं था। अतः शास्ति लगाना कानून के तहत उचित और न्यायोचित नहीं था। इस मामले के मद्देनजर, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा संबंधित विचारण न्यायालयद्वारा पारित उपरोक्त डिक्री को पलटना उचित है या नहीं।

इस मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि वादी ने मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 1,57,695/- रुपये का मोबिल सामान खरीदा था, जिसे आईओसी द्वारा बस्ताकोला, झरिया (धनबाद) से वादी को ट्रक नं. बीआर 17 ए 4754 कैश मेमो नंबर

827440 दिनांक 19.02.1993 के साथ भेजा गया। बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के फॉर्म नंबर-28बी में रोड परमिट न मिलने के कारण वाहन को आई.बी. के वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा रोका गया और जब्त कर लिया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्देश के अनुसार, वादी 20.02.1993 को उपस्थित हुआ और बताया कि उक्त माल के परिवहन के लिए किसी गुड्स परमिट की आवश्यकता नहीं थी और बिहार वित्त अधिनियम, 1981 का कोई उल्लंघन नहीं है। इसके बावजूद बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 31 (3) के तहत 48,432 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसका भुगतान वादी द्वारा किया गया था। वादी/अपीलकर्ता ने उच्च प्राधिकारियों के समक्ष शास्ति लगाए जाने को चुनौती दी और अंततः पुनरीक्षण याचिका सं डी एन 542/2001 के तहत वाणिज्यिक कर अधिकरणों के समक्ष चुनौती जिसे आदेश दिनांक 25-11-2003 द्वारा अनुमति दी गई थी और संयुक्त आयुक्त (अपील) धनबाद प्रभाग द्वारा दिनांक 01-11-1993 को पारित आदेश को बहाल कर दिया गया था और यह माना गया था कि संबंधित अधिकारी द्वारा शास्ति लगाना कानून के अंतर्गत औचित्यपूर्ण नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के साथ किए गए पत्राचार के बावजूद अवैध रूप से वसूले गए जुर्माने की कोई वापसी नहीं की गई थी, इसलिए धन वाद दायर किया गया था।

यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी जानबूझकर मुकदमा लड़ने में विफल रहे हैं और उन्हें अपना लिखित बयान दर्ज करने से भी रोक दिया गया था, जिसे उच्च मंच के समक्ष कभी चुनौती नहीं दी गई थी। विद्वान विचारण न्यायालयने वादी/अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य लेने के बाद और राज्य की ओर से विद्वान जीपी के तर्क पर विचार करने के बाद मुकदमे की डिक्री की है।

3. मामले के समग्र पहलुओं पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालयने वादी को 20.02.1993 से इसकी वसूली तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित

48,432 रुपये की जुर्माना राशि की वापसी का हकदार पाया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय बाहरी तथ्यों और अनुमान पर आधारित है कि अपीलकर्ता/वादी ने 48,432 रुपये की जुर्माना राशि जमा करने की कोई रसीद दायर नहीं की है और साथ ही वह उक्त राशि की वापसी का दावा नहीं कर सकता है और संबंधित विचारण न्यायालयके फैसले को रद्द करते हुए अपील की अनुमति दी है।

वर्तमान मामले में, विचारण के दौरान प्रतिवादी/उत्तरदाताओं ने जुर्माना राशि जमा करने पर कभी विवाद नहीं किया।

यह भी विवादित नहीं है कि आईबी के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा निर्देश जारी करने पर अपीलकर्ता उपस्थित हुआ और यह भी बताया कि इस मामले में जब्त किए गए माल के परिवहन के लिए फॉर्म 28-बी बिहार वित्त अधिनियम, 1981 में किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद जुर्माना लगाया गया जिसे जमा भी किया गया और माल और वाहन छोड़े गए। यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अंततः उच्च मंच द्वारा रद्द कर दिया गया था और यह पाया गया कि वर्तमान मामले में बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 31 (3) का कोई उल्लंघन नहीं था। ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ता पर अवैध रूप से लगाए गए दंड को इक्विटी, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत के अनुसार वापस किया जाना आवश्यक है जो अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकता है। उत्तरदाताओं ने वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश को कभी चुनौती नहीं दी है, जिसमें कहा गया है कि जुर्माना लगाना कानून के तहत उचित नहीं है। इसलिए, केवल इस आधार पर कि वाहन के चालक द्वारा जुर्माना राशि जमा की गई थी और वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा नहीं और जमा की रसीद का उत्पादन नहीं किया गया है, अपीलकर्ता/वादी के वास्तविक दावे को

खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसे प्रतिवादियों द्वारा इस तरह के आधार पर कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी।

4. उपरोक्त चर्चा और कारणों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पलटने का साक्ष्य के वजन से बिल्कुल परे है और किसी भी ठोस तर्क से रहित है, बल्कि यह अनुमान और अनुमानों पर आधारित है। इस तरह निचली अपीलीय अदालत द्वारा धन अपील संख्या 02/2012 दिनांक 30.11.2016 और 08.12.2016 में पारित निर्णय और डिक्री को एतद्वारा रद्द किया जाता है और निर्णय और

धन वाद संख्या 35/2006 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को एतद्वारा बरकरार रखा जाता है और इसकी पुष्टि की जाती है। अपीलकर्ता 20.02.1993 से वसूली की तारीख तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 48,432/- रुपये की वापसी का हकदार है।

5. उपरोक्त चर्चा और कारण को ध्यान में रखते हुए, इस अपील की अनुमति दी जाती है।

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक: 23/02/2024

रजनीश/- ए.एफ.आर.

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]

6.

7.

